"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 558] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2013—— अग्रहायण 29, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ - 85/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010/1454. —छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने अध्यक्ष पद आम निर्वाचन, दिसम्बर, 2009 में नगर पंचायत कसडोल, जिला-बलौदाबाजार (छ. ग.) के 02 अभ्यर्थियों को निरर्हित घोषित किया है, कि सूचना एतद्द्वारा सर्वधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव

प्रकरण क्रमांक एफ-85/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. दशरथ लाल प्रजापति, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपंचायत कसडोल, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)
2. दिनेश कुमार साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगरपंचायत कसडोल, जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 20 दिसम्बर 2013.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित जिला रायपुर (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपंचायत कसडोल के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 6 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 22 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपंचायत कसडोल के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों दशरथ लाल प्रजापति एवं दिनेश कुमार साहू ने निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 तक के निर्वाचन व्यय को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों दशरथ लाल प्रजापति एवं दिनेश कुमार साहू से दिनांक 12 मार्च 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर जवाब (लिखित अभ्यावेदन) 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई कि विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अर्थात् नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख तक के निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्यवाई करते हुए उनको 5 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए नगरपंचायत का अध्यक्ष अथवा पार्षद होने के लिए निरर्हित क्यों न किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों दशरथ लाल प्रजापति एवं दिनेश कुमार साहू को तामील नहीं हो पाने के कारण पुन: दिनांक 12 मई 2011 को तथा उसके पश्चात् दिनांक 22 अगस्त 2013 को सूचना जारी कर अभ्यर्थियों दशरथ लाल प्रजापति एवं दिनेश कुमार साहू से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों दशरथ लाल प्रजापति को 4 सितंबर 2013 को एवं दिनेश कुमार साहू को दिनांक 8 सितंबर 2013 को सम्यक् रूप से तामील की गई. हेतुक दर्शित करने विषयक कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों दशरथ लाल प्रजापति एवं दिनेश कुमार साहू को सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब (लिखित अभ्यावेदन) आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि अभ्यर्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है ; उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बन्धित अन्य सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों दशरथ लाल प्रजापति एवं दिनेश कुमार साहू ने निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. अधिनियम की धारा32-क (1) निम्नानुसार है :

> "**धारा32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा** - प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32 -क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

> "**धारा 32-ख निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना** - अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक निर्वाचन व्ययों का पूर्ण लेखा संधारित किया जाकर धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोदिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि निर्वाचन अधिकारी ने इसे अपने प्रतिवेदन में दिनांक 26 जनवरी 2010 उल्लेखित किया है.

5. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपंचायत कसडोल के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों दशरथ लाल प्रजापति एवं दिनेश कुमार साहू ने अधिनियम की धारा 12-क (1) धारा 21-ख अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा संधारित कर अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समवाधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अपना जवाब (लिखित) आयोग को प्रस्तुत किया. यह अधिनियम की धारा 21-क (1) एवं धारा 21-ख का उल्लघन है. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थियों दशरथ लाल पजापति एवं दिनेश कुमार साहू प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. अधिनियम की धारा 32-ग में बिना अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए निर्रहित करने का प्रावधान है, लेकिन विद्यमान परिस्थिति में दो वर्ष की कालावधि हेतु निर्रहित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों दशरथ लाल प्रजापति एवं दिनेश कुमार साहू को निर्वाचन व्ययों का लेखा विहीत रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने तथा धारा 21-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिये नगरपंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निर्रहित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 21-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 20 दिसम्बर 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-
पी. सी. दलई,
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.